

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द0प्र0सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही
एम0पी0 नं0 संख्या- 537/2019

0

प्रथम पक्ष :- 1. झारखण्ड सरकार द्वारा पु0 नि0 -सह- थाना प्रभारी सेक्टर-6 जिला बोकारो।
-: बनाम :-

द्वितीय पक्ष :- 1. मथुरा, पिता रामदयाल शर्मा उर्फ भीम, सा0-सं0-5/डी0 धौकी मुहल्ला
2. अवध रजक, पिता रव0 वीरण रजक, पता-सं0-5/डी0 धौकी मुहल्ला
सभी थाना सेक्टर-6 जिला बोकारो।

कार्यवाही

सेक्टर-6 थाना अप्राथमिकी संख्या 19/19 जो पु0 नि0 सह थाना प्रभारी सेक्टर-6 से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि द्वितीय पक्षों से आसन्न विधानसभा चुनाव 2019 के अवसर पर विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द0प्र0सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है, ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध धारा 107 द0प्र0सं0 की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। साथ ही द्वितीय पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक 28.11.19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में (पहचान पत्र के साथ) उपस्थित होकर कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये का बन्ध-पत्र समतुल्य राशि को दो प्रतिभूतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।

11/19 थाना से सूचना का न्यायालय प्राप्त, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द्वि पक्ष के क्र 1, 2 का हाजरी है।

Rt up on 19.11.19

28.11.19

11/19 द्वि पक्ष के क्र 1, 2 का हाजरी है

Serial No. 01 is absent. Issue warrant against him.

Rt up on 02.12.19

29.11.19

10/12/19 दिवस पक्ष के क्र. 1, 2 का हाजती है
तथा डा. 10 हेतु वसूली का आवेदन है
एवं क्र. 1, 2 का वारंट वापसी हेतु
आवेदन है. जिले ~~में~~ किया जाता है

तथा क्र. 01, का गजुरा पिता रामदयाल शर्मा
का वसूली पत्र दाखिल किया गया जिले
में किया जाता है।

~~S/Ch~~
21/12/19

13/12/19 दिवस पक्ष के क्र. 2 का हाजती है
दिनांक 21/12/19 को रखें

2-0-11

~~Ch~~

21/12/19 दिवस पक्ष के क्र. 2 का हाजती है
तथा वसूली पत्र दाखिल किया ~~है~~ गया है
जिले - ~~में~~ किया जाता है।

~~S/Ch~~
21/12/19

Case closed
S/Ch
21/12/19.